सं.13015/1/91-रा0भा0(घ)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने संबंधी जरूरत का निर्धारण-संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन ।

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का ध्यान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 अगस्त 2004 के का.ज्ञा.सं. 21011/1/96-स्थापना (ग) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके अधीन संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट (भाग-ख्ख्ख्) के पैरा 22 (ज) में की गयी निम्नलिखित सिफारिश को स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी हैः-

" संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या भर्ती के समय अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, सभी पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए । जहाँ किसी पद विशेष के लिए, किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं है वहाँ उम्मीदवार को अंग्रेजी अथवा हिन्दी का विकल्प दिया जाना चाहिए और यदि भर्ती के समय उसे हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो नियमों में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए कि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है ।"

2. कुछ मंत्रालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी के किस स्तर का ज्ञान होना चाहिए । इस संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 1968 को जारी किये गये का.ज्ञा.सं 3/18/68-एच के अनुसार निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त ध्यान में रखे जा सकते हैं :-

(i) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित शिक्षा का स्तर मैट्रिकुलेशन याउससे कम हो और जिनको कार्यालयों में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियां लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार तथा इंजिन ड्राईवर, रिकार्ड सार्टर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, गैस्टेटेनर आपरेटर, डाकिया,टेलीफोन आपरेटर आदि) वे केवल प्रबोध परीक्षा पास कर लें ।

(ii) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन काम करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिन्दी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि

का काम करने के लिए हिन्दी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डाक्टर,वैज्ञानिक, वर्कशाप तथा प्रयोगशालाओं आदि के पर्यवेक्षक कर्मचारी), वे केवल प्रवीण परीक्षा तक पास कर सकते हैं ।

(iii) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य करना, टिप्पणियां लिखना तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ परीक्षा अनिवार्य है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों में इस आशय का एक प्रावधान किया जाये कि उम्मीदवार को अपनी परीवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है । इस संबंध में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को (निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली के पते पर) अवगत कराया जाये ।

(एस.रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

संख्या.21011/1/96-स्थापना (ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने संबंधी जरूरत का निर्धारण-संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट (भाग-III) के पैरा 22 (ज) में एक सिफारिश इस प्रकार की हैः-

" संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या भर्ती के समय अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, सभी पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए । जहाँ किसी पद विशेष के लिए, किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य नहीं है वहाँ उम्मीदवार को अंग्रेजी अथवा हिन्दी का विकल्प दिया जाना चाहिए और यदि भर्ती के समय उसे हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो नियमों में इस आशय का प्रावधान किया जाना चाहिए कि अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है ।"

2. सरकार ने समिति की उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है । सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

3. चूँकि संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिश के पीछे यह उद्देश्य है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बिनी किसी जबरदस्ती के, परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अतः अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी का ज्ञान प्राप्त न कर पाने वाले उम्मीदवारों पर कोई शास्ति नहीं लगाई जानी चाहिए ताकि उम्मीदवार अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्वेच्छा से हिन्दी सीखें ।

4. समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से राजभाषा विभाग को अवगत रखा जाए ।

ह/-
(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय